मु.नं.–66 / 2020 GCMS ID-2020/00128 ता.रजु–11.11.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जसवंत मीना पुत्र प्रभुलाल मीना निवासी मांच, तहसील करौली जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–01.12.2020

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिनांक 01.07.2020 से आवेदन दिनांक तक जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा राशन डीलर के खारिज किये गये अनुज्ञापत्रों की संख्या, उनमें से दर्ज करायी गई एफ.आई.आर., बहाल और निरस्त किये प्राधिकार पत्रों की संख्या, 200 किलोग्राम गेंहू से अधिक अनियमितता करने वाले डीलर्स की संख्या, उनमें से दर्ज नहीं कराई गई एफ. आई.आर की संख्या व सूची, राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज शिकायत संख्या 07190305991130 दिनांक 18.07.2019 में गलत टिप्पणी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण आदि कुल 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है। इसके अतिरिक्त वक्त बहस राशन डीलर के निलंबित/निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र के निर्णयों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद/आरटीआई/2020/6911 दिनांक 20.11.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, पत्रांक–6747–48 दिनांक 09.11.2020 से रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित की है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.09.2020 से चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिक्रिया पेश नहीं की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट है। जिला रसद अधिकारी करौली राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र किस कारण से निलंबित/निरस्त किये गये हैं, की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु वक्त बहस नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सूचना निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी करौली को निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं।
7. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में वक्त बहस अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सूचना अपीलार्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रदान की जावे।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली